परियोजना में वनमंडलाधिकारी की अनुशंसा

छिन्दवाड़ा जिले के पश्चिम छिन्दवाड़ा वनमंडल अंतर्गत जामई वनपरिक्षेत्र के कक्ष कमांक आर.एफ. 454 रकबा 140.00 हे0 क्षेत्र वर्ष 1996 में वनविकास निगम छिन्दवाड़ा को हस्तांतरित किया गया है।

आरक्षित वनखंड 4 जामई कक्ष 454 का कुल रकबा 140.00 हे0 में से 19.500 हे0 क्षेत्र महाप्रबंधक वे.को.फी.लिमि.कन्हान क्षेत्र डुंगरिया को ऊपरीतल कोयला उत्खनन हेतु भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा दिनांक 17.01.2017 से 30 वर्षो के लिये स्वीकृति प्रदाय की गई है।

महाप्रबंधक वे.को.फी.लिमि.कन्हान क्षेत्र डुंगरिया द्वारा पुनः इसी वनकक्ष में 19.50 हे0 क्षेत्र से लगा हुआ क्षेत्र रकबा 14.00 हे0 वन क्षेत्र की स्वीकृति हेतु प्रकरण वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत ऑन लाईन के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है।

प्रस्तावित क्षेत्र वर्ष 1996 में वन विकास निगम छिन्दवाड़ा द्वारा सागौन वृक्षारोपण किया गया है। जिसमें 262500 पौधे रोपित किये गये है। जिसमें 5.59 लाख रु. व्यय हुआ है। उक्त क्षेत्र का वन घनत्व 0.1 से 0.4 तक का वन है। उक्त क्षेत्र की साईट क्वालिटी IV B है। वर्तमान में भी उक्त कक्ष वन विकास निगम छिन्दवाड़ा के आधिपत्य में है।

पूर्व स्वीकृत खदान रकबा 19.50 हे0 में अधिरोपित शर्त अनुसार माईनिंग लीज के बाहरी सीमा से 100 मी0 के क्षेत्र/घेरे में कैम्पा मद अंतर्गत सागौन वृक्षारोपण कार्य वर्ष 2016–17 में 2656 पौधे रोपित किये गये है, जिसमें अभी तक 4.65 लाख रु. व्यय हो चुका है एवं रखरखाव कार्य प्रचलित है।

प्रस्तावित खदान से पेंच टाईगर रिजर्व की दूरी 70 कि.मी. ,सतपुड़ा टाईगर रिजर्व की दूरी 20 कि.मी. , पेंच–सतपुड़ा टाईगर रिजर्व कारीडोर की सीमा से दूरी 10 कि.मी. से अधिक है।

वे.को.फी.लिमि. भारत सरकार के उपकम से संबंधित है अत आवेदित क्षेत्र पर वे. को.फी.लिमि. कन्हान क्षेत्र डुंगरिया को ऊपरीतल कोयला उत्खनन हेतू अनुशंसा की जाती है।

(डॉ.किरण बिसेन)
(भा.व.से. 2009)
वनमंडलाधिकारी
पश्चिम छिंदवाड़ा वनमंडल छिन्दवाड़ा